उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-1

संख्या-40/3631/26-1-2013-4(32)/2009

लखनऊ : दिनांक : 13 दिसम्बर, 2013

कार्यालय-ज्ञाप

श्रीमती शकुन्तला यादव (सेवानिवृत्त) उपनिदेशक जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सेवाकाल के दौरान एक स्वैच्छिक सहकारी संस्था-एकीकृत जनजाति विकास सहकारी संघ लि0 को सरकारी होने की गलत/भ्रामक सूचना देने एवं कपटपूर्ण ढंग से उक्त संस्था को सरकारी धनराशि आवंटित कराने के षडयंत्र में संलिप्त होने सहित कतिपय अन्य गंभीर अनियमितताओं के लिए उनके विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अन्तर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2185(1)/26-1-2009-4(32)/2009, दिनांक 04-09-2009 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए श्री अरविन्द कुमार, तत्कालीन संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किया गया तथा शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2185/26-1-2009-4(32)/2009, दिनांक 04-09-2009 द्वारा आरोप पत्र निर्गत किया गया।

2- श्री अरविन्द कुमार, संयुक्त निदेशक के दिनांक 28-02-2010 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4254/26-1-2010-4(32)/2009, दिनांक 15-10-2010 द्वारा श्री रमाकान्त संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ को जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया। श्री रमाकान्त संयुक्त निदेशक समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ के दिनांक 30-11-2013 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप सम्यक् विचारोपरान्त श्रीमती यादव के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04-09-2009 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में श्री रमाकान्त, संयुक्त निदेशक के स्थान पर श्री विशेश्वर सिंह, संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ को जॉच अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3- नवनियुक्त जॉच अधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वह आरोपों की जॉच कर एक माह के अन्दर अपनी जॉच आख्या शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

के0राम मोहन राव

सचिव।

पृ0सं0-40/3631(1)/26-1-2013-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री विशेश्वर सिंह, संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय लखनऊ (जॉच अधिकारी) को इस आशय से प्रेषित कि पूर्व नामित जॉच अधिकारी श्री रमाकान्त, संयुक्त निदेशक समाज कल्याण निदेशालय लखनऊ(से0नि0) से प्रकरण से संबंधित आरोप पत्र इत्यादि प्राप्त कर निर्धारित अवधि के अन्दर जॉच पूर्ण कराकर शासन को उपलब्ध करायें।

3- श्री रमाकान्त, संयुक्त निदेशक समाज कल्याण निदेशालय लखनऊ (से0नि0) द्वारा निदेशक, समाज कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेख नवनियुक्त जॉच अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4- अपचारी अधिकारी श्रीमती शकुन्तला यादव (से0नि0) उपनिदेशक जनजाति विकास विभाग, पता-ग्राम श्रीगोवर्धनपुर, बी0एच0यू0, वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नवनियुक्त जॉच अधिकारी को आरोपों का उत्तर तत्काल उपलब्ध करायें।

5- गार्ड फाइल/इंटरनेट प्रति।

आज्ञा से,

(राज कुमार त्रिवेदी)

अनुसचिव।

http://shsanadesh.up.nic.in